न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 48/2020 **दायर दिनांकः 03/03/2020**

उनवान

1. दिशा भार्गव आयु 32 वर्ष पुत्री विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुवतखेडा
2. मयंक भार्गव आयु 36 वर्ष पुत्र विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी. एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री गौरव सिंह हाडा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 18/08/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी. एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट का इस आशय का पेश किया है, कि वाके ग्राम हनुवतखेडा पटवार हल्का गोरधनपुरा तह० अटरू जिला बारां में खाता संख्या 182 की ख0नं0 1 रकबा 1.04 है0, ख0नं0 12/837 रकबा 0.06 है0, ख0नं0 13 रकबा 1.61 है0, ख0नं0 16 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 287 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 3 रकबा 0.52 है0, ख0नं0 491 रकबा 0.29 है0, ख0नं0 492 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 5 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 515 रकबा 0.89 है0, ख0नं0 517 रकबा 0.03 है0, कुल किता 11 कुल रकबा 5.38 है0 आराजी वादीगण के शामलाती खाते दर्ज है। जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/3, 1/3 दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 [illegible] संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित [illegible] दर्ज है तथा वादी कम 1 का गलत नाम रितु पुत्री विजय कुमार [illegible] का नाम [illegible] है। जबकि वादी कम 1 का सही नाम दिशा भार्गव है। वादीगण [illegible] पिता का स्वर्गवास [illegible] बाद के बाद फोती इन्तकाल खुलवाते समय वादी कम 1 का बोलता नाम रितु लिखवा दिया गया। जिससे वादी कम 1 का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रितु दर्ज हो गया। विद्यालय रिकार्ड व आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:02 IST
Reason: SelfAttested

कार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में वादिया का नाम दिशा भार्गव है। इसलिए वादी क्रम 1 का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न है। वादी क्रम 1 का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न भिन्न नाम होने तथा राजस्व रिकार्ड में वादीगण नाबालिग दर्ज होने से वादीगण को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि विकास कार्य करवाने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करा पडता है। अस्तु वादीगण नाबालिग से बालिग दर्ज करवाने तथा वादी क्रम 1 राजस्व रिकार्ड में अपना नाम रितु के स्थान पर दिशा भार्गव दर्ज करवाने की अधिकारी है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता। अस्तु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमि धारक होने एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है उनके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है मामला मात्र नाम व रिकार्ड दुरूस्ती का है इसलिए उन्हे 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नही दिया गया है। वाद कारण वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी क्रम 1 से नाबालिग से बालिग दर्ज करने व नाम दुरूस्त करने का निवेदन के बावजूद भी नही करने पर व अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है।

अतः वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा वाद सादिर फरमाई जावे किः—

(क) वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में नाबालिग से बालिग दर्ज करने व वादी क्रम 1 का नाम रितु के स्थान पर दिशा भार्गव राजस्व रिकार्ड में संशोधन/दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ख) अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:02 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जबाव दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 व Pw_2 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड EXP करवाया गया। अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में नाबालिग से बालिग दर्ज करने व वादी क्रम 1 का नाम रितु के स्थान पर दिशा भार्गव राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड, जमाबन्दी संवत् 2073–2076 ग्राम हनुवतखेडा की खाता संख्या 182 की कुल किता 11 रकबा 5.38 है0 में सहखातेदार के रूप में वादी क्रम 1 का नाम नाबालिग रितु पुत्री विजय कुमार तथा वादी क्रम 2 का नाम नाबालिग मयंक कुमार पुत्र विजय कुमार दर्ज है। माध्यमिक शिक्षा बार्ड राजस्थान की अंक तालिका में वादी क्रम 1 का नाम दिशा भार्गव पुत्री विजय कुमार भार्गव दर्ज है तथा आधार कार्ड में दिशा पाठक दर्ज है। माध्यमिक शिक्षा बार्ड राजस्थान की अंक तालिका में दिशा भार्गव की जन्म तिथि 02.02.1988 दर्ज है। इसी प्रकार वादी क्रम 2 की अंक तालिका केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जन्म तिथि 24.12.1984 दर्ज है। वर्तमान में वादीगण बालिग है।

प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम हनुवतखेडा की खाता संख्या 182 की कुल किता 11 रकबा 5.38 है0 में सहखातेदार वादी क्रम 1 का नाम नाबालिग रितु पुत्री विजय कुमार के स्थान पर दिशा भार्गव पुत्री विजय कुमार तथा वादी क्रम 1 व 2 को नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/08/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:02 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 48/2020

उनवान

1. दिशा भार्गव आयु 32 वर्ष पुत्री विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुवतखेडा
2. मयंक भार्गव आयु 36 वर्ष पुत्र विजय कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हनुवतखेडा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 ए आर.टी. एक्ट एवं</u>
<u>धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री गौरव सिंह हाडा।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम हनुवतखेडा की खाता संख्या 182 की कुल किता 11 रकबा 5.38 है0 में सहखातेदार वादी क्रम 1 का नाम नाबालिग रितु पुत्री विजय कुमार के स्थान पर दिशा भार्गव पुत्री विजय कुमार तथा वादी क्रम 1 व 2 को नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
..........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.08.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	[illegible]	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	[illegible]ना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	ख[illegible]वाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:02 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)